संख्या-727 सं आर/छ-पु-5-516/93

प्रेषक,

एस0 के0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: 23 जून, 1993

विषय:- शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद स्तर पर शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या-8093 आर/आठ-अनुभाग-5-97/दिनांक 26 नवम्बर, 1977 तथा शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 के अनुक्रम में अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 के साथ भेजे गये भारत सरकार के पत्र-11015/80-जी0ए0 दिनांक 23.7.81 में यह निर्देश दिये गये हैं कि शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर एक समय सीमा निर्धारित की जाय एवं समयबद्ध तरीके से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते समय 30 दिन के भीतर मामलों का निस्तारण कर दिया जाना चाहिये।

3- भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रकाश में मुझे यह भी कहना है के आयुध अधिनियम की धारा-15 में नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नये लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया एक समान होगी। आयुध अधिनियम की धारा-13 के अनुसार नवीनीकरण हेतु पुलिस रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों वा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट प्राप्त की जाय। निर्धारित समय में रिपोर्ट प्राप्त न होने पर लाइसेंसिग प्राधिकार उपने विवेकानुसार निर्णय लेने में सक्षम है। नवीनीकरण के संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर पुलिस रिपोर्ट हेतु अधिकतम बीस दिन के भीतर आख्या मांगी जाये कि यदि निर्धारित अवधि मे आख्या प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि नवीनीकरण में पुलिस को कोई आपत्ति नहीं हैं।

4- आयुध अधिनियम के अन्तर्गत यद्यपि शस्त्र लाइसेंस के प्रकरण में मुख्य कसौटी, लोक शांति की सुरक्षा एवं जन सुरक्षा को रखा गया है परन्तु इस अधिनियम की धारा-13 (2)(ए) के अर्न्तगत यदि कोई अन्य जॉच लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाती है तो अवश्य करा ली जाय परन्तु इस विषय में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जॉच का

वास्तविक औचित्य आयुध अधिनियम अन्तर्गत हो तथा जॉच पुलिस रिपोर्ट की भॉति समयबद्ध रखी जाय एवं मामलों में अनावश्यक विलम्ब न हो। अत: समान्यतय: ऐसी अतिरिक्त जॉचों की आख्या निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर बिना आख्या के निर्णय से लिया जाय। जॉच आदि की कार्यवाही के उपरान्त भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप 30 दिन के भीतर मामले का निस्तारण कर दिया जाना चाहिए।

5- आयुध नियम के अन्तर्गत लाइसेंस को अधिकतम 3 वर्ष तक नवीनीकृत किये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अनेक जनपदों में समय विस्तार करते समय 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् पडने वाली प्रथम 31 दिसम्बर की तिथि तक नवीनकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरे नवीनीकरण एवं उसके पश्चात सभी लाइसेंस की समाप्ति की तिथि 31 दिसम्बर हो जाती है जिससे कि एक साथ भारी संख्या में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के कारण अत्यंत विलम्ब स्वाभाविक हो जाता है तथा आवांछनीय तत्व इसका अनुचित लाभ उठाकर नागरिकों को और भी अधिक परेशान करता हैं। अत: लाइसेंस नवीनीकरण के समय उचित होगा कि लाइसेंस की दिनॉक से पूरे 36 माह की समयावधि की जाय जिससे कि भविष्य में भी नवीनीकरण पृथक माह में होते रहे तथा दिसम्बर में इकट्ठे न होने पायें। यथा संभव प्रत्येक माह में पूर्व निर्धारित तिथि/तिथियों पर नवीनीकरण अधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित थानों पर जाकर नवीनीकरण के प्रकरणों का निस्तारण किया करें तथा इन निर्धारित तिथियों का पूर्व प्रचार सुनिश्चित भी किया करें जिससें कि नवीनीकरण के कार्य में नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

6- कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(एस0के0 रिजवी)
विशेष सचिव।